CUTS International

कोऑपरेटिव सोसाइटी के रूप में किसान उत्पादक संगठन

उपविधियाँ

_____ किसान कृषि उत्पादन संगठन सहकारी समिति लिमिटेड की उपविधियॉ

1. नाम

इस सोसायटी का नाम ..... किसान कृषि उत्पादन संगठन सहकारी समिति लिमिटेड होगा, जिसका राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम 2001 तहत पंजीयन किया गया हैं। इस सोसायटी का रजिस्ट्रीकृत पता ..... स्थान ..... पोस्ट ..... जिला ..... होगा।

2. कार्यक्षेत्र

इस सहकारी सोसायटी का कार्य क्षेत्र निम्न क्षेत्रों तक सीमित होगाः–

क्र.सं.	नाम पंचायत समिति / खण्ड
1.	

3. परिभाषायें

उपनियमों में जब तक कोई बात विषय अथवा प्रसंग के प्रतिकूल न हो उस समय तक–

(1) अधिनियम से तात्पर्य राजस्थान सहकारी सोसाइटी अधिनियम 2001 तथा उनमें समय–समय पर किये गये संशोधनों से होगा।

(2) नियमों से तात्पर्य राजस्थान सहकारी सोसायटी नियम 2003 तथा इनमें समय समय पर किये गये संशोधनों से होगा।

(3) रजिस्ट्रार से तात्पर्य रजिस्ट्रार, सहकारी समितियॉ, राजस्थान, जयपुर अथवा इस संबंध में अधिकृत अधिकारी से होगा।

(4) सोसायटी से तात्पर्य ..... होगा।

(5) उपनियमों में जब तक कोई बात विषय अथवा प्रसंग के प्रतिकूल न हो उस समय तक कार्यकारी अधिकारी से ऐसा अधिकारी अभिप्रेत हैं जिसे समिति के नियंत्रण और निर्देशों अध्यधीन इस सोसायटी के कार्यकलाप के संबंध में मुख्य कार्यपालक अधिकारी या इसकी सहायतार्थ के लिये राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम 2001 धारा 29(2) के अधीन नियुक्त किया जावे।

4. उद्देश्य

(1) सदस्यों अथवा सदस्य सहकारी समितियों के सदस्यों की उपज जो समिति के माध्यम से विक्रय की जानी हैं की प्रतिभूति पर अग्रिम देना।

(2) कृषि उपज को संवारने के लिये कारखाने स्थापित करना।

(3) सदस्यों की एकत्रित उपज का संग्रह करने हेतु ग्रामीण गोदामों का निर्माण करना अथवा किराये पर देना।

(4) एकत्रित कृषि उपज की पैकिंग व श्रेणीकरण की व्यवस्था करना।

(5) एग्रो सर्विस सेक्टर्स की स्थापना करना एवं कृषि यंत्रों की बिक्री की व्यवस्था करना।

(6) सोसायटी के कारोबार को चलाने के लिये ऋण व अमानत के रूप में पूँजी एकत्रित करना।

(7) सोसायटी द्वारा विक्रय की जाने वाली वस्तुओं की एजेन्सियॉ लेना अन्य ऐसे काम करना जो उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति में सहायक हों तथा जिनसे सदस्यों की आर्थिक दशा में सुधार हो सकें अथवा सहकारिता का प्रसार हों।

(8) सभी कृषि, बागवानी, सब्जियों, औषधीय, मसाले फसलों, मुर्गी पालन, बकरी पालन, मधुमक्खी पालन और व्यापार जैसे सभी कृषि आदानों के उत्पादन, खरीद, विपणन, प्रसंस्करण, भंडारण, पैकिंग, विपणन और व्यापार के व्यवसाय को चलाने के लिए सदस्यों की प्राथमिक उपज के बीज, खाद, उर्वरक, कीटनाशक, कृषि मशीनरी और कृषि उपकरण आदि उनके लाभ के लिए।

(9) सदस्यों की उपज के परिरक्षण, सुखाने, वेंटिंग, कैनिंग, पैकेजिंग, ब्रांडिंग और ब्रांड विकास सहित प्रसंस्करण के व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए।

(10) मुख्य रूप से सदस्यों को मशीनरी, उपकरण या उपभोग्य सामग्रियों का निर्माण, बिक्री या आपूर्ति करना।

(11) अपने सदस्यों को पारस्परिक सहायता सिद्धांतों पर शिक्षा प्रदान करना।

(12) सदस्यों के हितों को बढ़ावा देने के लिए तकनीकी सेवाएं, परामर्श सेवाएं, प्रशिक्षण, अनुसंधान और विकास और अन्य सभी गतिविधियों को प्रदान करना।

(13) प्राथमिक उत्पाद से संबंधित बिजली का संचारण और वितरण, पुनरोद्धार, भूमि और जल संसाधन, उनका उपयोग, संरक्षण और संचार करना।

(14) उत्पादकों या उनकी प्राथमिक उपज का बीमा प्रदान करवाना।

(15) पारस्परिकता और पारस्परिक सहायता की तकनीक प्रदान करना।

(16) बोर्ड द्वारा तय किए गए सदस्यों के लाभ के लिए कल्याणकारी उपाय या सुविधाएं प्रदान करना।

(17) खरीद, प्रसंस्करण, विपणन या अन्य के वित्तपोषण का व्यवसाय करना, ऐसी गतिविधियाँ जिनमें क्रेडिट सुविधाओं का विस्तार या कोई अन्य वित्तीय शामिल हैं एवं सदस्यों को सेवाएं।

(18) मुख्य रूप से अपने सदस्यों को मशीनरी, उपकरण या उपभोग्य सामग्रियों का निर्माण, बिक्री या आपूर्ति करना।

(19) अपने सदस्यों को पारस्परिक सहायता सिद्धांतों पर शिक्षा प्रदान करना।

(20) अपने सदस्यों के हितों को बढ़ावा देने के लिए तकनीकी सेवाएं, परामर्श सेवाएं, प्रशिक्षण, अनुसंधान और विकास और अन्य सभी गतिविधियों को प्रदान करना।

(21) बिजली का उत्पादन, पारेषण और वितरण, भूमि और जल संसाधनों का पुनरोद्धार, उनका उपयोग, संरक्षण और प्राथमिक उपज से संबंधित संचार।

(22) उत्पादकों को अपने लिए अपने परिवार के सदस्यों के लिए, और अपने पशुओं, फसलों और अन्य उत्पादक संपत्तियों के लिए बीमा पेंशन योजना प्राप्त करने में सक्षम बनाना।

(23) पारस्परिकता और पारस्परिक सहायता की तकनीकों को बढ़ावा देना।

(24) उपरोक्त वस्तुओं से संबंधित कृषि.मशीनरी, सौर ऊर्जा उपकरणों या उपभोज्य का निर्माण, संयोजन, बिक्री या आपूर्ति करना।

(25) उत्पादकों के जोखिम को कम करने के लिए मौसम और फसल बीमा सहित बीमा लेने में सहायता के लिए एजेंसी या किसी अन्य रूप में कार्य करना।

(26) खेती और किसानों के सामने आने वाले मुद्दों पर चर्चा के लिए एक मंच तैयार करना और भारत में कृषि के मामलों पर ज्ञान के भंडार के रूप में कार्य करना।

(27) किसानों को कृषि से होने वाले लाभ में वृद्धि करने और कृषि आदानों की दक्षता को बढ़ावा देने के लिए विशेष रूप से पानी जैसे दुर्लभ संसाधन को बढ़ावा देने के लिए कृषि उपज के मूल्यवर्धन के लिए उपाय करना।

(28) सदस्यों के लाभ के लिए कल्याणकारी उपायों या सुविधाओं की व्यवस्था करना।

(29) उपरोक्त किसी भी खंड या अन्य गतिविधियों में से किसी भी अन्य गतिविधिए सहायक या आकस्मिक गतिविधियों को चलाने के लिए जो किसी अन्य तरीके से सदस्यों के बीच पारस्परिकता और पारस्परिक सहायता के सिद्धांतों को बढ़ावा दे सकते हैं।

(30) पूर्वगामी खंडों में निर्दिष्ट खरीद, प्रसंस्करण, विपणन, या अन्य गतिविधियों के वित्तपोषण के लिए प्रदान करना, जिसमें इसके सदस्यों को ऋण सुविधाओं या किसी अन्य वित्तीय सेवाओं का विस्तार शामिल है।

(31) जीवित शिल्प, परंपरा और कौशल के आधार पर भारत में कुछ सबसे हाशिए के समुदायों को सशक्त बनाने के लिए वैश्वीकरण के वर्तमान युग में अवसरों का पता लगाना।

(32) प्रसंस्करण और मूल्यवर्धन इकाइयों की स्थापना करना।

(33) बाजार के लिए चैनल विकसित करना और बाजार की मांगों को पूरा करने वाली स्थायी प्रणालियों को स्थापित करना।

(33) साथ.साथ चलने के लिए विपणन और उत्पादन की प्रणाली का होना।

(34) ऐसे उत्पाद बनाना जो उपयोग और कीमत दोनों में संभव बाजार में व्यापक स्तर पर अपील करें।

(35) सामाजिक रूप से जिम्मेदार व्यवसाय मॉडल को दोहराने के लिए।

(36) आर्थिक और सामाजिक लक्ष्य के बीच की खाई को पाटना।

(37) एक विपणन संगठन बनाना जो किसानो के लिए उपयुक्त हो।

5. सदस्यता

1. सोसायटी की सदस्यता निम्न प्रकार होगी

(अ) श्रेणी के सदस्य व्यक्तिगत कृषक जो कि कृषि योग्य भूमि का धारक हो, सोसायटी के कार्यक्षेत्र में निवास करता हो तथा जिसकी आयु 18 वर्ष से कम न हो तथा जो सदस्यता से सम्बन्धित उत्तरदायित्वों एवं दायित्वों को स्वीकार करने के लिए तैयार हो एवं सोसायटी की सेवाओं का उपयोग करने का इच्छुक हो तथा सोसायटी की सेवाओं का न्यूतमक आवश्यक उपयोग करने के सम्बन्ध में निर्धारित मानदण्ड, यदि कोई हो, की पालना करने के लिए प्रतिबद्ध हो।

(ब) ''द'' श्रेणी के सदस्य नोमिनल सदस्य होंगे जिन्हे मत देने का अधिकार नहीं होगा।

2 प्रत्येक आवेदक की सदस्यता ग्रहण करने अथवा हिस्से खरीदने के लिये सोसायटी द्वारा इस उद्देश्य हेतु निर्धारित फार्म पर सोसायटी को आवेदन पत्र प्रस्तुत करना होगा एवं सहकारी समितियां होने की दशा में सदस्य बनने संबंधी प्रस्ताव की प्रमाणित प्रतिलिपि भी जमा करानी होगी। सदस्यता आवेदन पत्र के साथ आवेदन शुल्क 11 रूपये/– एवं निर्धारित राशि (अधिकृत पूंजी 1500000 रूपये होगी। सदस्यता आवेदन–पत्र के आधार पर अधिनियम एवं नियमों में निर्धारित प्रक्रियानुसार आवेदक को सदस्यता प्रदान की जावेगी।

(क) कोई व्यक्ति सोसायटी की सदस्यता के योग्य नहीं होगा यदि वह राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम, 2001 की धारा 28 एवं राजस्थान सहकारी सोसायटी नियम 2003 के नियम संख्या 16 में वर्णित निर्हरताएं रखता हो।

(ख) किसी सदस्य की सदस्यता निम्नलिखित में से किसी एक कारण पर स्वतः समाप्त समझी जावेगी।

i उप खण्ड (क) में वर्णित निर्योग्यता धारण करने पर।
ii सहकारी सोसायटी का पंजीयन रद्ध हो जाने पर

कोई सदस्य सदस्यता ग्रहण करने की तिथि से दो वर्ष पश्चात दो माह का नोटिस देकर सदस्यता से पृथक हो सकता है किन्तु शर्त यह है कि वह सोसायटी का ऋणी नहीं हो। नोटिस की तिथि उस दिन से समझी जावेगी जिस दिन नोटिस सोसायटी को प्राप्त होगा। सदस्यता समाप्ति के पश्चात हिस्सा राशि की वापिसी उपविधियों के प्रावधान के अनुसार ही देय होगी।

3. सदस्यता से पृथककरण

कोई सदस्य जो उसके द्वारा देय राशि के भुगतान में निरन्तर चूक करता रहा हो अथवा जो संचालक मण्डल की राय में सोसायटी की अपकीर्ति का कारण रहा हो, अथवा जिसमें सोसायटी के हित के विरूध या हानिकारक कार्य किया हो, इस प्रयोजन के लिये आयेजित सामान्य बैठक में उपस्थित तथा मत देने के अधिकारी सदस्यों से कम से कम 3/4 के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा सदस्यता से निष्कासित किया जा सकेगा किन्तु ऐसा संकल्प तब तक वैध नहीं होगा, जब तक कि सम्बन्धित सदस्य को साधारण सभा के समक्ष अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर नही दे दिया जावें तथा ऐसा कोई संकल्प तब तक प्रभावी नहीं होगा जब तक कि वह रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां द्वारा अनुमोदित नही हो जावे।

जब सोसायटी का कोई सदस्य किसी अन्य सदस्य के निष्कासन के लिये संकल्प प्रस्तुत करने का प्रस्ताव करता है, तो वह सोसायटी के व्यवस्थापक को इसका लिखित नोटिस देगा। ऐसा नोटिस प्राप्त होने पर या स्वयं संचालक मण्डल द्वारा संकल्प प्रस्तुत करने का निर्णय लेने पर आगामी साधारण सभा की कार्य सूची में ऐसा संकल्प विचार करने के लिये सम्मिलित किया जावेगा। जिस सदस्य द्वारा निष्कासन संबंधी प्रस्ताव रखा गया है तथा जिस सदस्य के निष्कासन के लिये प्रस्ताव है दोनों को साधारण सभा की बैठक में उपस्थित रहने के लिये सूचना दी जावेगी। यदि सदस्य स्वयं उपस्थित है, को सुनने के पश्चात अथवा किसी ऐसे प्रतिवेदन जो उनके द्वारा लिखित में भेजा गया हो, पर विचार करने के उपरान्त ही साधारण सभा में प्रस्ताव पर विचार किया जावेगा। साधारण सभा में उपस्थित मत देने वाले सदस्यों के 3/4 बहुमत के संकल्प से पारित हो जाने पर ऐसा पारित संकल्प रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां की स्वीकृति के लिये भेजा जावेगा। रजिस्ट्रार सहकारी समितियां, ऐसे संकल्प पर विचार कर सकेगा तथा ऐसी जांच पड़ताल जो वह ठीक समझे करने के पश्चात अपना अनुमोदन दें सकेगें तथा सोसायटी एवं सबंधित सदस्य को अपने निर्णय की सूचना देगें। रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां के अनुमोदन की तिथि से ही निर्णय प्रभावी माना जावेगा।

4. प्रत्येक पृथक किया गया सदस्य उसके पृथक होने की तिथि से सोसायटी की जिम्मेदारियों को चुकाने के लिये दो वर्ष तक उत्तददायी होगा।

5. सोसायटी के सदस्यों द्वारा अपने सदस्यता संबंधी अधिकारों का प्रयोग तब तक नहीं किया जा सकेगा जब तक कि उनके द्वारा सोसायटी की सेवाओं का न्यूनतम उपयोग करने के संबंध में रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, राजस्थान, जयपुर द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार पात्रता अर्जित नहीं कर ली गई हो।

6. दायित्व

प्रत्येक सदस्य का उत्तरदायित्व सोसायटी के विघटन होने की स्थिति में सोसायटी की हानियों को पूरा करने के लिये उनके द्वारा क्रय किये गये हिस्सों तक सीमित होगा। राज्य सरकार का दायित्व उनके द्वारा क्रय किये हिस्सों के मूल्य तक ही सीमित होगा।

7. पूंजी

1. पूंजी के स्त्रोत निम्न होगें :–

(क) हिस्सा राशि।

(ख) ऋण।

(ग) प्रवेश शुल्क।

(घ) अनुदान।

(ड.) सुरक्षित एवं अन्य कोष।

2. सोसायटी की पूंजी सोसायटी के उद्देश्यों की पूर्ति करने के कामों में ही विनियोजित की जावेगी यदि कोई अवशिष्ट पूंजी रहती है, जिसकी तत्काल आवश्यकता नहीं है तो ऐसी पूंजी अधिनियम तथा नियमों में वर्णित प्रावधान के अनुसार ही विनियोजित की जावेगी।

3. उधार की अधिकतम सीमा अधिकतम उधार सीमा साधारण सभा द्वारा निर्धारित की जावेगी किन्तु यह सीमा अधिनियम व नियमों के अन्तर्गत निर्धारित सीमा से अधिक नहीं होगी।

8. हिस्से

1. सोसायटी के हिस्से निम्न श्रेणियों में विभक्त होगें।

i. "अ" श्रेणी के हिस्से– प्रत्येक "अ" श्रेणी के हिस्से का मूल्य 100 रू. होगा जो सोसायटी के "अ" श्रेणी के सदस्यों को दिये जावेगें।

ii. "ब" श्रेणी के हिस्से– प्रत्येक "ब" श्रेणी के हिस्से का मूल्य 1000 रू. होगा जो "ब" श्रेणी के सदस्यों को ही दिये जावेगें। प्रत्येक सदस्य को सोसायटी के कम से कम 1 हिस्सा खरीदना आवश्यक होगा।

iii. "स" श्रेणी के हिस्से– प्रत्येक "स" श्रेणी के हिस्से का मूल्य 2000 रू. होगा ऐसे हिस्से राज्य सरकार अथवा राजस्थान राज्य क्रय विक्रय संघ लि., जयपुर जिन शर्तों पर हिस्सा राशि भुगतान करना चाहे , करने के लिये सक्षम होंगे

iv. "द" श्रेणी के हिस्से– प्रत्येक "द" श्रेणी के हिस्से, "द" श्रेणी के सदस्यों सोसायटी के हिस्से क्रय करने के अधिकारी नहीं होंगे। उन्हें सदस्यता हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने एवं प्रवेश शुल्क 11 रू. जमा करवाना आवश्यक होगा।

स्पष्टीकरण – यदि एक हिस्से के पूर्व मुद्रित मूल्य में परिवर्तन किया जाता हैं तो सदस्य को पूर्व में जारी हिस्सों की संख्या को तदानुसार समायोजित कर दिया जावेगा अर्थात हिस्सा संख्या कम ज्यादा की जा सकेगी।

2. i. हिस्सों का सम्पूर्ण मूल्य, हिस्से क्रय करने के समय ही भुगतान करना आवश्यक होगा।

ii. राज्य सरकार व राजस्थान राज्य क्रय विक्रय संघ लि., जयपुर द्वारा क्रय किये गये हिस्सों का मूल्य ऐसे निर्धारित समय पर ऐसी तादाद में वापिस किये जावेंगे जो दोनों पक्षों के बीच हुये समझौते में तय किये जावेंगे।

iii. सदस्यों को सोसायटी की मोहर लगे हुये हिस्सों के पृथक–पृथक क्रमांक युक्त हिस्सा प्रमाण पत्र, जिस पर सोसायटी के अध्यक्ष और व्यवस्थापक के हस्ताक्षर होंगे, जारी किये जावेंगे।

iv. किसी प्रमाण पत्र क जीर्ण हो जाने अथवा खराब हो जाने की स्थिति में व्यवस्थापक उसे रद्ध करके उसके बदले दूसरा प्रमाण पत्र जारी कर सकेगा। यदि कोई प्रमाण

पत्र खो जावे अथवा नष्ट हो जावे तो उसके समुचित प्रमाण के बारे में व्यवस्थापक के संतुष्ट हो जाने पर संबंधित सदस्य को नया प्रमाण पत्र दिया जा सकेगा। प्रत्येक नया प्रमाण पत्र जो इन उपविधियों के अन्तर्गत दिया जावेगा पांच रूपया शुल्क जमा करवाया जावेगा।

v. सोसायटी का कोई सदस्य जिसकी सदस्यता किसी निर्योग्यता के कारण समाप्त की हो अथवा जिसका सदस्यता से त्याग पत्र स्वीकार कर दिया गया हो। सोसायटी को सदस्य का नाम सदस्यता रजिस्टर से हटा देगी और उसके हिस्सों का मूल्य हिस्सो पर लाभांश (डिवेडेन्ड) यदि घोषित हुआ हो, की राशियों में से सोसायटी सम्पत्ति पर कोई अंश या सोसायटी की बकाया राशि जो इनके नाम बकाया अथवा ऋणी सदस्य का प्रतिभू होने के कारण उससे लेने योग्य हो, उससे सदस्यता का प्रमाण पत्र वापिस देकर (यदि जारी हुआ हो तो) उक्त बकाया राशिया काटने के पश्चात प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने की तिथि से 30 दिवस में उसके द्वारा लौटा दिया जावेगा तथा इसकी पुष्टि आगामी संचालक मण्डल की बैठक के समय में कराई जावेगी किन्तु हिस्सों की राशि सोसायटी द्वारा की गई राशि से किसी भी दशा में अधिक नहीं होगी।

9. साधारण सभा

1. सोसायटी की साधारण सभा का गठन निम्न प्रकार होगा

i. व्यक्तिगत कृषक सदस्य अथवा यथास्थिति उनके प्रतिनिधि (डेलीगेट्स)

सोसायटी का संचालक मण्डल व्यक्तिगत कृषक सदस्यों की संख्या को देखते हुए, यदि आवश्यक समझे तो ऐसे व्यक्तिगत कृषक सदस्यों 5 प्रतिनिधियॉ के निर्वाचन हेतु ग्राम पंचायत को आधार लेते हुए निम्नानुसार प्रतिनिधि साधारण सभा का गठन कर सकेगा।

(क) प्रत्येक ऐसी पंचायत के निर्वाचन क्षेत्र मेंसे 50 सदस्यों की संख्या पर एक प्रतिनिधि आमसभा के लिये निर्वाचन किया जावेगा जो साधारण सभा का सदस्य होगा। यह निर्वाचन राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकारी द्वारा संचालित करवाया जावेगा। संचालक मण्डल द्वारा निर्वाचन क्षेत्र का गठन इस प्रकार किया जावेगा कि प्रत्येक ऐसे क्षेत्र में कम से कम 50 सदस्य आवश्यक से हो। 50 से कम सदस्य होने पर ऐसी ग्राम पंचायत को निर्वाचन क्षेत्र की निकटतक गाम पंचायत से मिलाकर निर्वाचन क्षेत्र का गठन किया जावेगा। किसी एक निर्वाचन क्षेत्र में मतदाता संख्या 50 से अधिक होने की स्थिति में एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्र नहीं रखे जावेंगे बल्कि उस निर्वाचन क्षेत्र से साधारण सभा के प्रतिनिधियों का निर्वाचन निम्नानुसार करवाया जावेगा।

1. 50 से 99 तक सदस्यों की संख्या पर एक प्रतिनिधि
2. 100 से 149 तक सदस्यों की संख्या पर दो प्रतिनिधि
3 150 से 199 या अधिक की संख्या पर तीन प्रतिनिधयों ओर इसी प्रकार आगे 50 के पूर्ण गुणांकों पर एक प्रतिनिधि बढातें हुए प्रतिनिधियों की संख्या का निर्धारण किया जावेगा।

(ख) संचालक मण्डल द्वारा ऐसे निर्वाचन क्षेत्र के गठन की स्वीकृति सोसायटी के पंजीकरण अधिकारी से लिया जाना अनिवार्य होगा।

(ग) जहां सोसायटी द्वारा व्यक्तिगत कृषक सदस्यों के प्रतिनिधियों (डेलीगेटस) सम्बन्धी उक्त व्यवस्था रखी जाती है, वहां सभी व्यक्तिगत सदस्य साधारण सभा में भाग ले सकेंगें। तथा इन उपनियमों मे जहां कही भी व्यक्तिगत कृषक सदस्यों के निर्वाचित प्रतिनिधि अथवा "डेलीगेटस" शब्दों का उल्लेख हो वहां ऐसे शब्दों से तात्पय " व्यक्तिगत कृषक सदस्यों" से होगा।

2. सोसायटी की वार्षिक साधारण सभा की बैठक प्रतिवर्ष वित्तीय वर्ष की समाप्ति के 6 मास की अवधि के भीतर–भीतर बुलाया जाना आवश्यक होगा।

3. संचालक मण्डल आवश्यक होने पर किसी भी समय विशेष साधारण सभा बुला सकेगा। निम्न परिस्थितियों में एक महीने के भीतर विशेष साधारण सभा बुलाना आवश्यक होगा।

   i. रजिस्ट्रार की लिखित आज्ञा प्राप्त होने पर, अथवा
   ii. "अ" तथा "ब" श्रेणी के कुल सदस्यों के 1/5 सदस्यों की लिखित प्रार्थना पर विशेष साधारण सभा का अधिवेशन बुलाने हेतु लिखित आवेदन पत्र में वर्णित विषयों पर ही ऐसी सभा में विचार किया जावेगा।

4. i. साधारण सभा की सूचना प्रत्येक सदस्य को 15 दिन पूर्व दी जावेगी जिसमें विचारणीय विषय, स्थान, दिनांक व समय आदि का उल्लेख होगा। उपविधियों में संशोधन के संबंध में विषय होने की दशा में ऐसी सूचना के साथ उपविधियों में संशोधन का पूर्ण विवरण भी सदस्यों की जानकारी हेतु भेजना आवश्यक होगा।
   ii. सदस्य रजिस्टर में अंकित पते पर पोस्टल सर्टिफिकेट द्वारा सूचना भेजी जाने पर उक्त सूचना सही प्रकार भेजी हुई सूचना समझी जावेगी। पते में परिर्वतन होने पर सोसायटी को सूचना देना सदस्य का कर्तव्य होगा।
   iii. साधारण सभा की सूचना के प्रसारण में कोई साधारण निवारणीय त्रुटी होने से साधारण सभा की कार्यवाही अवैधानिक नहीं होगी।

5. i. साधारण सभा की अध्यक्षता सोसायटी के अध्यक्ष करेगें। अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपस्थित सदस्य अपने में से एक सदस्य की सभा का सभापतित्व करने के लिये चुनेगे। अध्यक्ष सभा का नियंत्रण करेगा। अध्यक्ष को अधिकार होगा कि किसी भी सदस्य के अभद्र व्यवहार के कारण उसे सभा छोड़ने के आदेश दें। जिस सदस्य को ऐसा आदेश मिलेगा उसे तुरन्त सभा से पृथक होना पड़ेगा और वह सभा की शेष कार्यवाही में भाग नहीं ले सकेगा।
   ii. ''अ'' श्रेणी के सदस्यों एवं ''ब'' श्रेणी के प्रतिनिधि सदस्यों का 1/5 भाग या 50 सदस्य जो भी कम हो साधारण सभा की गणपूर्ति करेगें। सभा की कार्यवाही प्रारम्भ होने के निश्चित समय तक गणपूर्ति करेगें। सभा की कार्यवाही प्रारम्भ होने के निश्चित समय तक गणपूर्ति न होने पर कोई कार्यवाही प्रारंभ न की जावेगी। अध्यक्ष या अन्य किसी सदस्य द्वारा जो उस बैठक के सभापति के लिये चुना गया होगा। गणपूर्ति के अभाव में सभा निम्न दशाओं में स्थगित कर सकेगा किन्तु ऐसी स्थगित सभा 15 दिवस में बुलाया जाना आवश्यक होगा।
      अ. यदि सभा के निश्चित समय के एक घंटे तक गणपूर्ति न हो या
      ब. यदि सभा की कार्यवाही के मध्य अपेक्षित गणपूर्ति कम होने का ज्ञान हो जावें।
   iii. उक्त चरण (2) के अन्तर्गत स्थगित की गई सभा के आगामी अधिवेशन में गणपूर्ति होना आवश्यक नहीं होगा। स्थगित सभा में मूल बैठक की कार्यवाही के कार्य को पूरा किया जावेगा।

6. सदस्य को केवल एक मत देने का अधिकार होगा। किन्तु शर्त यह है कि सोसायटी के सदस्यों द्वारा अपने सदस्यता संबंधी अधिकारों का प्रयोग तब तक नहीं किया जा सकेगा, जब तक कि उनके द्वारा सोसायटी की सेवाओं का न्यूनतम उपयोग करने के संबंध में रजिस्ट्रार द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार पात्रता अर्जित नहीं कर ली गई हो।

7. प्रत्येक सभा का विवरण इस कार्य हेतु रखे गये रजिस्टर में लिखा जावेगा। साधारण सभा का विवरण सभा समाप्ति के पश्चात तुरन्त लिखा जावेगा और व्यवस्थापक उस पर प्रमाणस्वरूप

हस्ताक्षर करेगें। इस प्रकार हस्ताक्षर किया विवरण सभा की कार्यवाही का प्रमाण होगा। जब तक प्रतिकूल प्रमाणित न हो जावें सोसायटी की साधारण सभा की बैठक जिसका विवरण इस प्रकार से लिखा गया हो नियमानुसार बुलायी सभा एवं सम्पादित कार्यवाही समझी जावेगी।

8. सभी विषयों पर निर्णय उपस्थित सदस्यों के बहुमत से होगें। बराबर मत होने की दशा में अध्यक्ष को द्वितीय अथवा निर्णायक मत देने का अधिकार होगा।

9. इन उपविधियों के किसी चरण में कोई संशोधन, परिवर्तन एवं निरसन (केन्सीलेशन) एवं नई उपविधि की रचना (इनेक्टमेन्ट) साधारण सभा में उपस्थित एवं मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से किया जावेगा तथा रजिस्ट्रार द्वारा इसका पंजीयन होने के बाद ही प्रभावशील होगा।

10. (क) संचालक मण्डल उन सदस्यों की एक सूची बनायेगा जो साधारण सभा में मत देने के अधिकारी होगें और प्रत्येक साधारण सभा के अधिवेशन के 30 दिन पूर्व इस प्रकार की सूची तैयार करेगा।

(ख) सोसायटी के व्यवस्थापक का कर्तव्य होगा कि जो सदस्य उक्त सूची चाहेगें उन्हें संचालक मण्डल द्वारा इस संबंध में निर्धारित शुल्क प्राप्त कर सूची देगें।

(ग) साधारण सभा के जिस अधिवेशन में संचालक मण्डल का चुनाव होगा। उसकी तिथि से पूर्व 30 दिन में कोई सदस्य नहीं बनाये जावेगें।

11. <u>साधारण सभा के अधिकार एवं कर्तव्य</u>

साधारण सभा के अधिकार एवं कर्तव्य निम्न प्रकार होगें

(क) साधारण सभा को सोसायटी के कार्य के संबंध में सर्वोच्च अधिकार प्रापत होगें।

(ख) उपविधियों के द्वारा प्रदत्त अधिकारों के अन्तर्गत सोसायटी के सचांलक मण्डल या किसी पदाधिकारी द्वारा किये गये कार्यो में साधारण सभा द्वारा हस्तक्षेप नहीं किया जा सकेगा।

(ग) साधारण सभा अन्य विषयों के अतिरिक्त निम्नलिखित पर ही विचार करेगी।

i- उपविधि ग्यारह के प्रावधान के अनुसार संचालक मण्डल के सदस्यों का निर्वाचन।
ii- संचालक मण्डल द्वारा प्रस्तुत ऑडिट रिपोर्ट तथा वार्षिक रिपोर्ट पर विचार।
iii- सोसायटी के गत वर्ष के कार्य पर विचार करना तथा संचालक मण्डल द्वारा आगामी वर्ष के लिये तैयार किये गये कार्यकलापों, कार्यक्रमों का अनुमोदन।
iv- संचालक मण्डल द्वारा सोसायटी के वार्षिक कार्यक्रम के अनुसार तैयार किये गये वार्षिक आय–व्यय और बजट की स्वीकृति पर विचार।
v- रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, राजस्थान, जयपुर को भेजे जाने वाले वार्षिक विवरण पत्रों पर विचार।
vi- राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम, 2001 की धारा 54 एवं राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम, 2003 के नियम 73 के प्रावधान के अनुसार रजिस्ट्रार द्वारा अनुमोदित पैनल में से लेखापरीक्षक अथवा लेखापरीक्षा फर्म की सोसायटी के अंकेक्षण हेतु नियुक्ति करना, अंकेक्षण की ऑडिट फीस निर्धारित करना व अंकेक्षण प्रतिवेदन तथा अंकेक्षण अनुपालना रिपोर्ट का अनुमोदन कर विभाग को प्रेषित करना।
vii- उपविधियों में संशोधन।
viii- शुद्ध लाभ का निर्वतन।
ix- उपविधियों के अन्तर्गत सदस्यों का पृथकरण।
x- संचालक मण्डल के विरूद्ध किसी सदस्य के अभियोग पर विचार एवं
xi- ऐसे पत्रों पर विचार जिन्हें राज्य सरकार अथवा रजिस्ट्रार सहकारी विभाग द्वारा पठाए हों तथा जिन्हें साधारण सभा में रखा जाना आवश्यक हों।

xii- मूल्य घटत–बढ़त कोष की सीमा निर्धारित करना।

10. संचालक मण्डल

1. सोसायटी के संचालक मण्डल में 12 निर्वाचित सदस्यों सहित कुल 15 सदस्य होगें।

2. (क) सोसायटी के व्यक्तिगत कृषक सदस्यों / व्यक्तिगत कृषक सदस्यों के निर्वाचित डेलीगेटस में से क्रमशः एक–एक सदस्य का पद अनूसूचित जाति एवं अनूसूचित जनजाति हेतु तथा 2 सदस्य का पद महिलाओं के लिये आरक्षित रहेगें किन्तु यदि किसी समिति में संबंधित वर्ग के सदस्य उपलब्ध नही हो तो ऐसी स्थिति में ऐसे पद सामान्य वर्ग के व्यक्तिगत कृषक सदस्यों/ व्यक्तिगत कृषक सदस्यों के निर्वाचित डेलीगेटस में से भरे जा सकेंगें।

(ख) सदस्य समितियों के प्रतिनिधि अपने–अपने प्रतिनिधियों के निर्वाचन के लिये ही मत दे सकेगें एवं व्यक्तिगत सदस्य अपने प्रतिनिधियों के लिये मत देगें।

(ग) संचालक मण्डल किसी आकस्मिक रिक्ति को नामनिर्देशन द्वारा उसी वर्ग के सदस्यों में से, जिसके सम्बन्ध में आकस्मिक रिक्ति हुई है भर सकेगा, यदि संचालक मण्डल की अवधि इसकी मूल पदावधि के आधे से कम है। परन्तु यदि संचालक मण्डल में कोई आकस्मिक रिक्ति हो गई है और संचालक मण्डल की अवधि उसकी मूल पदावधि के आधे से अधिक है, तो ऐसी रिक्ति निर्वाचन, नामनिर्देशन या यथास्थिति, सहयोजन द्वारा भरी जायेगी और इस प्रकार निर्वाचित, नामनिर्देशित, या यथास्थिति, सहयोजित सदस्य शेष अवधि के लिए पद धारण करेगा।

(घ.) संचालक मण्डल के निर्वाचित सदस्यों द्वारा अपने में से एक अध्यक्ष एवं एक उपाध्यक्ष का निर्वाचन किया जायेगा।

(ड) संचालक मण्डल का अध्यक्ष अन्य संस्थाओं में सोसायटी की और से प्रतिनिधित्व करेगा तथा उसकी अनुपस्थिति में ऐसा प्रतिनिधित्वं उपाध्यक्ष द्वारा किया जायेगा। आवश्यकता पडने पर मत देने के लिए अपने अध्यक्ष अपनी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष को अधित कर सकेगा।

(च) संचालक मण्डल के सदस्यों को साधारण सभा की पूर्व अनुमति एवं स्वीकृत बजट में से इस प्रकार की राशि प्रावधान होने पर प्रत्येक बैठक में सम्मिलित होने का अधिक से अधिक 250रू. तक बैठक शुल्क तथा मानदेय के रूप में वास्तविक किराया दिया जायेगा। आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुये उपरोक्त सीमान्तर्गत साधारण सभा प्रतिवर्ष बैठक शुल्क निर्धारित करेगी।

3. <u>संचालक मण्डल के सदस्यों की योग्यता</u>

निम्न में से एक या अधिक कारण होने पर संचालक मण्डल की सदस्यता समाप्त समझी जावेगीः–

(क) वह सहकारी सोसायटी जिसका प्रतिनिधित्व किया जा रहा हैं जिसकी की सदस्य नहीं रहे।

(ख) उस सहकारी सोसायटी, जिसका प्रतिनिधित्व किया जा रहा हैं, का पंजीयन समाप्त हो जावें।

(ग) वह सहकारी सोसायटी जिसका प्रतिनिधित्व किया जा रहा हैं अवसायन में आ जावे।

(घ) वह सहकारी सोसायटी जिसका प्रतिनिधित्व किया जा रहा हैं अथवा व्यक्तिगत कृषक सदस्य इस सोसायटी सहकारी बैंक अथवा किसी अन्य सहकारी सोसायटी के ऋणों को चुकाने में दोषी हो गई/हो गया हैं।

(ड) सहकारी सोसायटी का प्रतिनिधि स्वयं उसके सहकारी सोसायटी का अथवा सहकारी सोसायटी जिसका वह प्रतिनिधित्व कर रहा है, जैसी स्थिति हो इस सोसायटी अथवा अन्य सहकारी सोसायटी के ऋण को चुकाने को दोषी हो गया हो/गई है।

(च) अन्य सहकारी सोसायटी का प्रतिनिधि जब उसकी सहकारी सोसायटी अध्यक्ष ना रहें।

(छ) सहकारी सोसायटी का प्रतिनिधि अथवा व्यक्तिगत कृषक सदस्य अधिनियम एवं नियमों में वर्णित अयोग्यता का धारक हो गया हैं।

(ज) यदि संचालक स्वयं या उसके परिवार के किसी सदस्य द्वारा सोसायटी ओर से या सोसायटी के कार्य के विरूद्ध वकील का कार्य कर रहा हों।

(झ) यदि संचालक राजस्थान सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2001 में बताये गये दोषों से कारावास की सजा पाया हों ओर वह सजा बदली नहीं गई हों किन्तु ऐसे कारावास की सजा अपील या रिवीजन करने से रद्द नहीं हो जाती हैं।

(ञ) संचालक मण्डल कोई भी सदस्य जिसके विरूद्ध राज. सहकारी सोसाइटी अधिनियम 2001 की धारा 57(2) के अधीन किसी राशि या सम्पति के भुगतान का आदेश दिया गया हैं और ऐसा आदेश अपास्थ नहीं किया गया हैं। उस तारीख से 03 वर्ष की काल अवधि के समाप्त होने तक जिसके वह आदेश के समाधान स्वरूप धन या उसके किसी भाग का ब्याज सहित प्रति सन्दाय करता हैं। अन्य समिति या उसके किसी भाग को वापिस करता हैं या अंशदान और खर्च का मुआवजे का सन्दाय करता हैं किसी संचालक मण्डल के सदस्य के रूप में निर्वाचन या नियुक्ति का पात्र नहीं होगा। ऐसा व्यक्ति भी जिसके विरूद्ध राज. सहकारी सोसाइटी अधिनियम 2001 की धारा 99,105 अथवा 110 के अन्तर्गत कोई आदेश पारित हो गये हों और ऐसे आदेश बदले नहीं गये हों तो इस आदेश की तिथि से 03 वर्ष की अवधि तक के लिये संचालक मण्डल का सदस्य नहीं रह सकेगा।

(ट) संचालक मण्डल की अनुमति प्राप्त किये बिना संचालक मण्डल की लगातार 3 बैठकों से अनुपस्थित रहा हों। इस हेतु बैठक की कार्यवाही में अंकित तत्संबंधी विवरण ही इस बात का प्रमाण माना जावेगा।

(ठ) उसके संचालक मण्डल से त्याग–पत्र देने की सूचना संचालक मण्डल को हो तथा उसका त्याग–पत्र स्वीकृत हो गया हो।

(ड) कोई भी व्यक्ति किसी समिति का अध्यक्ष और केन्द्र अथवा राज्य सरकार की मंत्री परिषद का सदस्य या किसी पंचायत समिति का प्रधान, दोनों, नहीं रहेगा और यदि पहले ही केन्द्र अथवा राज्य सरकार की मंत्री परिषद का सदस्य या किसी जिला परिषद का प्रमुख या किसी पंचायत का प्रधान हैं तो वह उस तारीख से जिसको कि वह ऐसी समिति का अध्यक्ष बनता हैं, चौदह दिन की कालावधि की समाप्ति पर ऐसी समिति का ऐसा अध्यक्ष नहीं रहेगाा जब तक कि ऐसी समाप्ति के पूर्व वह केन्द्र अथवा राज्य मंत्री परिषद के सदस्य के रूप में अपने स्थान से या, यथास्थिति, उस पद से, जो वह जिला परिषद या पंचायत समिति में धारित करता हैं से त्यागपत्र नहीं दे देता।

परन्तु यदि ऐसा कोई व्यक्ति, जो किसी समिति का अध्यक्ष पहले से हैं, केन्द्र अथवा राज्य सरकार का मंत्री परिषद का सदस्य या किसी जिला परिषद का प्रमुख या या किसी पंचायत समिति का प्रधान नियुक्ति अथवा निर्वाचित कर लिया जाता हैं तो केन्द्र अथवा राज्य मंत्री परिषद का सदस्य या किसी जिला परिषद का प्रमुख या, यथास्थिति, किसी पंचायत समिति का प्रधान नियुक्त अथवा निर्वाचित हो जाने की तारीख से चौदह दिन की समाप्ति पर ऐसी समिति का अध्यक्ष नहीं रहेगा जब तक कि वह केन्द्र अथवा राज्य मंत्री परिषद के अपने स्थान से या जिला परिषद या, यथास्थिति, पंचायत समिति में के अपने पद से पहले ही त्यागपत्र नहीं दे देता हैः–

परन्तु यह और कि वह समिति का सदस्य या निदेशक बन सकेगा।

(ढ) कोई व्यक्तिगत सदस्य अथवा सदस्य सोसायटी का प्रतिनिधि संचालक मण्डल में सदस्य के रूप में निर्वाचित या मनोनीत किये जाने योग्य नहीं होगा। यदि वह

1. प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सोसायटी के व्यापार में निजी रूप में या परिवार के अन्य सदस्य के नाम से कोई हित रखता हो सोसायटी के व्यापार कृषि उपज इनपुटस जैसे खाद, कीटनाशक दवाईयॉ, ऑयल एनिजल, बिजली की मोटरें, पम्पिंग सैट टैक्ट्रर, कृषि यंत्र अथवा अन्य कोई वस्तु कार्य या व्यापार शामिल होगा जो समिति द्वारा किया जाता हो।

2. सोसायटी को देय राशि की वसूली के लिये, सोसायटी के दूसरें सदस्यों की सम्पत्ति की खरीद में परोक्ष या अपरोक्ष रूप से सम्मिलित रहा हों।

3. यदि कोई सदस्य जो अधिनियम, नियमों अथवा उपविधियों के प्रावधानों के अन्तर्गत किसी निर्योग्यता से ग्रस्त है और जिसके कारण उसे संचालक मण्डल की सदस्यता से पृथक होना पडा है।

4. यदि उसके क्षेत्र से अथवा सहकारी सोसायटी की कृषि उपज जो 100 क्वि. से कम न हो, सोसायटी में बिक्री हेतु प्राप्त नहीं हुई हो। व्यक्तिगत कृषक सदस्य की स्थिति में 1000 रू. व्यवसाय सोसायटी से नहीं किया गया हो।

5. कृषि उपज का विक्रय के अतिरिक्त सदस्य सहकारी सोसायटी से कम से कम 25,000.00 रू. की कीमत का खाद, बीज, कीटनाशक दवाईयॉ अथवा उपभोक्ता सामग्री इस सोसायटी के क्रय नहीं किया हो।

नोट : उपरोक्त (4) व (5) में वर्णित न्यूनतम व्यवसाय/सेवा निर्वाचन की तिथि से 30 दिन पूर्व से लेकर उससे पीछे एक वर्ष के आधार लेकर देखी जावेगी। किन्तु जहां किसी सोसायटी द्वारा ही संबंधित अवधि में उक्त वर्णित बिन्दुओं में उल्लेखित व्यवसाय किया ही नहीं गया हो, वहां सदस्य के लिए निर्योग्यता संबंधी प्रावधान लागू नहीं होंगे।

(ण) इन उपविधियों के लागू हो जाने के पश्चात् सदस्यों को उनके संचालक मण्डल पर निर्वाचित मनोनीत होने के पश्चात् एक वर्ष की अवधि में उपरोक्त योग्यता पूर्ण करना आवश्यक होगा अन्यथा संचालक मण्डल से सदस्यता स्वतः समाप्त समझी जावेगी लेकिन शर्त उपनियम 10 में उल्लेखित कमजोर, वर्ग अथवा महिला वर्ग के प्रतिनिधियों के लिये लागू नहीं होगी।

(त) इसके अतिरिक्त राजस्थान सहकारी सोसयाटी अधिनियम 2001 की धारा 28 में वर्णित किसी अन्य निहर्ताओं से ग्रस्त हो गया हो।

उपरोक्त में से किसी भी अयोग्यता से ग्रस्त होते ही दोषी संचालक के संबंध में इस आशय की सूचना सोसायटी के व्यवस्थापक द्वारा तत्काल रजिस्ट्रार को देनी होगी। व्यवस्थापक द्वारा सूचित करने पर अथवा अन्य स्रोतों से सूचना प्राप्त होने पर रजिस्ट्रार द्वारा राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम 2001 की धारा 28 के तहत प्रकरण की सुनवाई कर निर्णय दिया जायेगा।

(थ) साधारण सभा को किसी समय उनके द्वारा निर्वाचित संचालक मण्डल के सदस्यों को हटाने का अधिकार होगा।

4. <u>संचालक मण्डल के सदस्यों का कार्यकाल</u>

संचालक मण्डल के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होगा। निर्वाचित संचालक मण्डल का निर्वाचन की तिथि से 5 वर्ष पूरा होने पर कार्यकाल समाप्त होना माना जावेगा।

कोई निर्वाचित संचालक, संचालक मण्डल की सदस्यता से सोसायटी के व्यवस्थापक के पास लिखित रूप से त्याग–पत्र भेजकर पृथक हो सकेगा किन्तु त्याग पत्र संचालक मण्डल द्वारा स्वीकृत होने की तिथि से मान्य होगा।

संचालक मण्डल के प्रत्येक चुने गये सदस्य के अन्तरिम रिक्त स्थान की पूर्ति राजस्थान सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2001 एवं नियम, 2003 के प्रावधानानुसार सहवरण के द्वारा की जावेगी। साथ ही सोसाइटी द्वारा उक्त रिक्त स्थान की सूचना राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकारी को तत्काल दी जावेगी।

5. संचालक मण्डल की बैठक

(अ) संचालक मण्डल की बैठक की सूचना प्रत्येक सदस्य को लिखित रूप में बैठक की तारीख कम से कम 7 दिन पूर्व दी जावेगी परन्तु विशेष परिस्थितियों में बैठक की सूचना स्पष्ट 24 घंटे पूर्व देकर बुलाई जा सकेगी जिसमें विचारणीय विषयों, स्थान, तारीख, व समय का उल्लेख होगा किन्तु किसी आवश्यक विषय पर जो विचारणीय विषयों में सम्मिलित नहीं किया गया हो उपस्थिति सदस्यों की राय से विचारार्थ लिया जा सकेगा।

सोसायटी के अध्यक्ष, संचालक मण्डल बैठक की अध्यक्षता करेगे। अध्यक्ष की अनुपस्थिति में कोई भी व्यक्ति जो इस बैठक की अध्यक्षता के लिये निर्वाचित किया जावे, अध्यक्षता करेगे।

संचालक मण्डल की गणपूर्ति 9 सदस्यों की होगी यदि संचालक मण्डल की बैठक पदाधिकारियों के निर्वाचन हेतु राजस्थान राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकारी द्वारा नियुक्त निर्वाचन अधिकारी द्वारा इसी विशिष्ठ प्रयोजन हेतु आहूत की गई हो तो प्रबंध समिति की ऐसी बैठक में सदस्यों की गणपूर्ति होना आवश्यक नहीं होगा। संचालक मण्डल की बैठक में प्रत्येक विचारणीय विषय का निर्णय बहुमत से किया जायेगा। बराबर मत होने की दशा में अध्यक्ष अथवा अन्य व्यक्ति को जो उस दिन बैठक का सभापत्वि करेगा को अपना निर्णायक अथवा द्वितीय निर्णाय मद देने का अधिकार होगा।

संचालक मण्डल की बैठक प्रत्येक तीन माह में कम से कम एक बार अवश्यक बुलायी जावेगी।

(ब) स्पष्ट दस दिन पूर्व अध्यक्ष को सूचना भेजकर कोई भी नौ संचालक (सदस्य) संचालक मण्डल का विशेष अधिवेशन बुलाने हेतु निवेदन कर सकेंगे। प्रार्थना पत्र प्राप्त होते ही व्यवस्थापक बैठक बुलाने की कार्यवाही करेंगे।
(स) विशेष बैठक की मांग हेतु आये हुये आवेदन पत्र में कारण का स्पष्टतया उल्लेख होगा तथा आवेदन पर मांग करने वाले सदस्यों के हस्ताक्षर होंगे एवं यह सोसायटी के रजिस्टर्ड पते पर प्रस्तुत किया जावेगा। इस विशेष बैठक की सूचना में अंकित विषयों पर ही विचार किया जावेगा।

6. संचालक मण्डल के कर्त्तव्य

अपने, कार्यक्षेत्र में विपणन, प्रोसेसिंग, भंडारण,संभरण कृषि इनपुटस की सामयिक व्यवस्था तथा कृषकों को उनकी उत्पादित उपज का अच्छे मूल्य उपलब्ध कराकर कृषक वर्ग को कृषि उपज के विपणन में होने वाली समस्त प्रकार के शोषण से मुक्ति दिलाने के लिये कृत संकल्प होकर योजनाबद्व तरीके से आर्थिक उन्नति करना तथा समस्त ऐसी योजनाओं जो राज्य/केन्द्रीय सरकार द्वारा क्रियान्विति हेतु प्रसारित की गई हो को क्रियान्विती करने आदि का संचालक मण्डल का परम कर्तव्य होगा जिसकी प्राप्ति हेतु संचालक मण्डल द्वारा निम्न कार्य किये जावेंगे :–

1. विपणन, प्रोसेसिंग व भण्डारण हेतु कार्य क्षत्र का सर्वेक्षण कर योजनायें तैयार कराना तथा उनकी क्रियान्विति हेतु आवश्यक व्यवस्था करना एवं क्रियान्विति की समीक्षा करना।
2. कृषि उत्पादित हेतु समय पर कृषि इनपुटस जैसे खाद, बीज कीटनाशक दवाईयों आदि की व्यवस्था करना, संग्रह करना एवं उनके वितरण की समुचित व्यवस्था करना व समय–समय पर व्यवस्था की समीक्षा करना।
3. क्षेत्र के कृषकों को प्राथमिक कृषि ऋणदात्री सहकारी समितियों के माध्यम से उनकी उत्पादित उपज की अच्छी कीमत उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक योजनाये बनाना, उनकी क्रियान्विति करना।
4. क्षेत्र के कृषकों को सदस्य संख्या के माध्यम से बाजार के भावों की सूचना उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक कार्यवाही करना।

5. सोसायटी द्वारा स्थापित प्रोसेसिंग ईकाईयों के लिए आवश्यक सामान को सोसायटी के हितों में क्रय करने की संचालन व्यवस्था व उत्पादित माल की बिक्री की उत्तम व्यवस्था करना।
6. क्षेत्र की जनता को गतिशील एवं प्रेरणाप्रद नेतृत्व प्रदान कर सोसायटी के प्रति लोगों की आस्था में अभिवृद्वि करना ताकि सोसायटी एक आदर्श सोसायटी हो सके।
7. निर्धारित शर्तो के अनुसार सदस्यों को ऋण देने हेतु निधि एकत्रित करना।
8. सदस्य समितियों के सदस्यों की उपज जो समिति के माध्यम से विक्रय की जाती है को प्रतिभूति पर रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटी राजस्थान जयपुर के निर्देशानुसार अग्रिम राशियों देने हेंतु उचित व्यवस्था करना।
9. सोसायटी की पूंजी के विनियोग की स्वीकृति अधिनियम, नियम एवं उपविधियों के अनुसार देना।
10. रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटी राजस्थान जयपुरएवं राज. राज्य क्रय–विक्रय सहकारी संघ, जयपुर द्वारा निर्धारित पुस्तकों को लिखवाने व हिसाब तैयार कराने की व्यवस्था करना।
11. विभिन्न अधिकृत अधिकारियों द्वारा किये गये निरीक्षण पत्रों व अंकेक्षण पत्रों में अंकित आक्षेपों पर विचार करना एवं पूर्ति प्रतिवेदन तैयार कराकर संबंधित अधिकारियों को समय पर प्रेषित करने एवं उनमें बताये गये आक्षेपों का निराकरण कराने की व्यवस्था करना।
12. अंकेक्षण पत्र एवं तत्संबंधित पूर्ति पत्र आगामी साधारण सभा के समक्ष प्रस्तुत करना।
13. सोसायटी के किसी कार्य विशेष को संपादित करने के लिए आवश्यकता पडने पर कम से कम 3 सदस्यों की एक तदर्थ समिति (एडहाक कमेटी) गठित करना जिसमें से एक व्यवस्थापक होगा। संचालक मण्डल उसको अपने अधिकारों में से कोई अधिकार प्रदत्त कर सकेगा किन्तु किसी भी परिस्थिति में व्यवस्थापक के अतिरिक्त संचालक मण्डल द्वारा किसी व्यक्ति विशेष को अपने अधिकार नहीं दिये जावेंगे।
14. सोसायटी का वार्षिक बजट तैयार कर अपनी सिफारिश के साथ साधारण सभा के समक्ष प्रस्तुत करना।
15. आमसभा द्वारा स्वीकृत बजट की सीमा में ही सोसायटी के कर्मचारियों की संख्या, वेतन, भत्तें व अन्य खर्चे आदि पर नियंत्रण रखना एवं इस हेतु व्यवस्थापक से समय पर सूचनाऐं लेकर स्थिति की समीक्षा करना।
16. साधारण सभा के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु वार्षिक रिपोर्ट, वार्षिक हिसाबात जिनमें आय व्यय खाता, संतुलन चित्र, लाभ–हानि खाता इत्यादि होगे तैयार करवाना व साधारण सभा में प्रस्तुत करना एवं आगामी वर्ष की योजनाऐं, लक्ष्यों का विवरण तथा क्रियान्विति की प्रगति आदि साधारण सभा में प्रस्तुत करना।
17. सोसायटी के हिसाबात नियमित रूप से निर्धारित ढंग से रखवाने की व्यवस्था करना।
18. सोसायटी द्वारा लिए गए ऋण, अमानतों आदि को समय पर चुकाने की व्यवस्था करना।
19. अन्य ऐसे कार्य करना जो सोसायटी के उद्वेश्यों की पूर्ति हेतु आवश्यक हो, लेकिन संचालक मण्डल के समस्त निर्णय, नीति निर्धारण व उसकी क्रियान्विति की समीक्षा से संबंधित होंगे।
20. मुख्य कार्यकारी की सिफारिश पर ऋण, अमानत पर ब्याज व सदस्यों की साख सीमा स्वीकृत करने का अधिकार।
21. 1000 रू. से अधिक किन्तु 10000 रू. से कम के सामान के अप लेखन का अधिकार परन्तु ऐसे सामान जिसमें सामान्य उपभोग की अवधि पूर्ण कर ली हो।
22. कर्मचारियों के अधिकार व कर्तव्य जॉब, चार्ट निश्चित करना।

11. पदाधिकारियों के कर्तव्य

(क) अध्यक्ष के कर्तव्य :

अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के कर्तव्य साधारण सभा एवं संचालक मण्डल की बैठकों की अध्यक्षता –अध्यक्ष सोसायटी द्वारा की जावेगी और अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष द्वारा अध्यक्षता की जावेगी।

(ख) व्यवस्थापक के कर्तव्य एवं उत्तरदायित्व :

1. व्यवस्थापक सोसायटी का मुख्य कार्यकारी अधिकारी होगा जो संचालक मण्डल के नियंत्रण में एवं देख–रेख में कार्य करेगा तथा उसके प्रति उत्तरदायित्व होगा। व्यवस्थापक सोसायटी के समस्त क्रिया–कलापों को सुचारू रूप से चलाने के लिए उत्तरदायी होगा। वह सोसायटी के संचालक मण्डल का पदेन सदस्य होगा एवं सचिव का कार्य भी करेगा। सोसायटी की साख को बढाने हेतु सभी ऐसे कार्य करेगा जिससे सदस्यों की आस्था सोसायटी में उत्तरोत्तर बढे एवं सोसायटी के गौरव की अभिवृद्वि हो। इस हेतु सोसायटी के कार्य क्षेत्र के अर्थिक विकास की तीन साल की योजना बनाना एवं संचालक मण्डल/आमसभा के समुख प्रस्तुत करना एवं योजना में निर्धारित लक्ष्यों को समय पर प्राप्त करना।
2. सोसायटी के कार्यालय को सुव्यवस्थित रखना, कार्यालय समय पर खोलने की व्यवस्था करवाना व पूर्ण समय सदस्यों को सोसायटी की सेवायें उपलब्ध करवाना, सदस्यों को आर्थिक मामलों में उनकी पूर्ण सहायता व मार्गदर्शन करना, सोसायटी के समस्त रिकार्ड को सुरक्षित व पूर्ण रखवाना/सोसायटी की सम्पत्ति व रोकड पोते की सुरक्षा की व्यवस्था करवाना।
3. सोसायटी की शेयर पूंजी में यदि सरकार ने 2.00 लाख रू. या इससे अधिक की अभिदान किया हुआ है तो सरकार या सरकार के द्वारा इस नियमित विनिदिष्ट किसी प्राधिकारी द्वारा सोसायटी में मुख्य कार्यकारी की नियुक्ति की जा सकेगी। इस प्रकार नियुक्त अधिकारी सरकार या यथा स्थिति विनिदिष्ट प्राधिकारी की इच्छानुसार पद धारण करेगा और उसे संदेय पारिश्रमिक सोसायटी की निधियों में से संदत्त किया जावेगा।
4. सोसायटी की ओर से संचालक मण्डल के निर्णयानुार धनराशि प्राप्त करना एवं नियमानुासार उसका विनियोजन करना।
5. अधिकृत विभागीय/वित्तीय बैंक/उच्च सोसायटी के अधिकारी द्वारा अंकेक्षण /निरीक्षण के समय पूर्ण सहयोग देना, उनके द्वारा मांगे गये समस्त रिकार्ड को प्रस्तुत करवाना, समस्त वांछित सूचनाऐं उपलब्ध करवाना एवं प्राप्त अंकेक्षण / निरीक्षण पत्रों के आक्षेपों की समय पर पूर्ति करवाना एवं पूर्ति प्रतिवेदन संबंधित अधिकारियों को समय पर पठाना एवं तत्संबंधी निर्देशों की पालना करना।
6. सदस्यों से ऋणों की समय पर वसूली करना, अवधिपार ऋणों की वसूली हेतु विधि मामलें तैयार कराकर आवश्यक कानूनी कार्यवाही करवाना।
7. राज्य सरकार/निगम निकाय अथवा अन्य संस्थाओं द्वारा दिये जाने वाले ठेके/कार्य ऐजेन्सियों आदि के बाबत जानकारी रखना, समिति के हितों को ध्यान में रखकर उन्हें उचित शर्तों पर प्राप्त करना, उनकी क्रियान्विति करना तथा प्रगति से संचालक मण्डल को अवगत कराना।
8. समिति द्वारा संचालित/स्थापित प्रोसेसिंग ईकाईयों की उचित व्यवस्था करना, उन्हें लाभ से चलाने के संबंध में आवश्यक प्रशासनिक व व्यवसायिक व्यवस्था करवाना।
9. साधारण सभा संचालक मण्डल अथवा उप समितियों की बैठक बुलाना और उनमें शामिल होना।
10. बैठकों की कार्यवाही निर्धारित रजिस्टर में अंकित करना तथा बैठक के अध्यक्ष के साथ किताब कार्यवाही में हस्ताक्षर करना।
11. सोसायटी के रजिस्टर्स, लेखा पुस्तकों, वाउचर्स आदि रिकार्ड लेखाकार व अन्य कर्मचारियों के माध्यम से तातरीाख पूर्ण रखवाना, उनकी जांच करना तथा उनमें लेखाकार के साथ संयुक्त हस्ताक्षर करना।
12. सोसायटी के समस्त कर्मचारियों की नियमानुसार नियुक्ति करना, उन पर प्रशासनिक रूप से पूर्ण नियंत्रण रखना और उनके कार्य का निरीक्षण करना व समस्त प्रकार की अनुशासनात्मक कार्यवाही करना, उन्हें दण्डित करना, उन्हें दण्ड देना व नौकरी से अलग बर्खास्त करना आदि।

13. सोसायटी की ओर से अथवा सोसायटी पर किये गये दावों की पैरवी कराना, करना, समझौता करना अथवा वापस लेना।
14. सोसायटी की ओर से समस्त पत्र व्यवहार करना।
15. सोसायटी की ओर से रकमें प्राप्त करना और रसीदों पर हस्ताक्षर करने हेतु अधीनस्थ अधिकारी को अधिकृत करना।
16. सोसायटी की और से निष्पादित होने वाले समस्त डाक्यूमेन्टस पर सोसायटी के साथ हस्ताक्षर कराना।
17. सहकारी वर्ष की समाप्ति पर प्रत्येक सदस्य सहकारी समिति को लेनदारी–देनदारी का विवरण निर्धारित प्रपत्र में भेजना और उनमें उसकी पुष्टि करवाने की व्यवस्था करना।
18. अध्यक्ष एवं संचालक मण्डल किसी सदस्य द्वारा चाहे जाने पर सोसायटी का रिकार्ड निरीक्षण करवाना।
19. सोसायटी की प्रबंधकारिणी समिति और उसके पदाधिकारियों के निर्वाचन के संचालन करने के लिए विद्यमान प्रबंधकारिणी समिति की अवधि की समाप्ति के 6 माह पूर्व निर्वाचन प्राधिकारी एवं विभाग को सूचित करना।
20. प्रबंधकारिणी समिति में किसी आकस्मिक रिक्ति के बारे में, ऐसी रिक्ति होने के तुरन्त पश्चात् लिखित में निर्वाचन प्राधिकारी एवं विभाग को सूचित करना।
21. प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति के 6 माह के भीतर–भीतर, रजिस्ट्रार को निम्नांकित विवरणियां प्रेषित करना।
    I. सोसायटी के क्रियाकलापों की वार्षिक रिपोर्ट।
    II. सोसायटी के लेखाओं के लेखापरीक्षित विवरण।
    III. अधिशेष के व्यय के लिए योजना, जो सोसायटी के साधारण निकाय द्वारा अनुमोदित हो।
    IV. सहकारी सोसायटी की उपविधियों के संशोधनो, यदि कोई हो की सूची।
    V. सोसायटी के साधारण निकाय की बैठक आयोजित करने की तारीख और निर्वाचनों का, जब नियत हो, संचालन करने के बारे में घोषणा और
    VI. ऐसी अन्य सूचना जिसकी रजिस्ट्रार समय–समय पर अपेक्षा करें।
22. अन्य समस्त ऐसे कार्य करना जो संचालक मण्डल व रजिस्ट्रार द्वारा सौंपे जाये।
23. 1000 रू. तक के मूल्य के सामान अपलेखन का अधिकार, बशर्ते उस सामान की सामान्य उपयोग की अवधि पूर्ण कर ली है।

12. अग्रिम राशियॉ

सदस्यों की उपज जो सोसायटी के माध्यम से विक्रय की जाती है तो प्रतिभूति पर अग्रिम राशियॉ रजिस्ट्रार के निर्देशानुसार दी जा सकेगी।

कृषि उपज के रहन पर अग्रिम राशियॉ बाजार मूल्य के 75 प्रतिशत से अधिक नहीं दी जावेगी तथा ब्याज की दर रजिस्ट्रार द्वारा निर्धारित की जावेगी जो किसी भी स्थिति से केन्द्रीय सहकार बैंक का ब्याज दर से कम नही होगा।

उपज का बाजार मूल्य वही होगा जो कृषि उपज मण्डी कमेटी द्वारा घोषित होगा।

13. बिक्री विधि

माल की बिक्री व्यवस्थापक समिति द्वारा मालिक की उपस्थिति में अथवा उसके निर्देशानुसार होगी। माल को सही ढंग से व ईमानदारी के साथ मण्डी समति के नियमों का पालने करते हुए विक्रय करने की जिम्मेदारी व्यवस्थापक समिति की होगी। माल की बिक्री का सौदा खुले बाजार से होगा। बिक्री हेतु माल श्रेणीकरण किया जा सकेगा।

आवश्यक समझा जावे तो कृषक से माल का बीमा भी करवाया जावेगा। वह उपज जो समिति के गोदाम से संग्रहण की जानी है। बीमा करवाना आवश्यक होगा।

माल का खरीददार नीलामी की तिथि को मंडी प्रथा के अनुसार पूरी रकम जमा कराकर माल उठाने की व्यवस्था करेगा।

यदि निर्धारित समय से खरीददार माल नहीं उठा सके तो व्यवस्थापक नीलामी रद्द करके अग्रिम राशि यदि कोई ली गई हो तो जब्त करके हर्जाना वसूल करने का अधिकारी होगा।

14 लाभ वितरण

(क) सोसायटी के कारोबार का वर्ष 31 मार्च को समाप्त होगा। वर्ष में कुछ लाभों में से लेखा में इकटठे हो रही सभी ब्याज जो कि अधिदेय (ओवरडयू) है, स्थापना खर्च एवं जमाओं पर देय ब्याज, अंकेक्षक शुल्क, मरम्मत, किराया, करो भारों सहित कार्य व्यय तथा लाभों में रहित किसी निधि से असमायेजित बट्टा खातों रकमों या हानियों के लिये या उनको समाप्त करने के प्रावधानों को काटकर शुद्व लाभ को संगठित करेगा। शुद्व लाभों में से रजिस्ट्रार सहकारी समितियों के निर्देशों के अनुसार डूबत तथा संदेहात्मक ऋणों की राशियों का प्रावधान किया जाकर शेष शुद्व लाभ का वितरण निम्न प्रकार किया जावेगा :–

1. कम से कम 25 प्रतिशत आरक्षित निधि में,
2. कम से कम 1 प्रतिशत शिक्षा कोष में
3. हिस्सों पर अधिक से अधिक 7 प्रतिशत लाभांश दिया जायेगा। जो हिस्से पूरे वर्ष सोसायटी में रहे हो, पर पूरे वर्ष का लाभांश दिया जावेगा। जो 6 माह से अधिक परन्तु एक वर्ष से कम रहे हों, पर 6 माह का लाभांश दिया जावेगा। 6 माह से कम रहे हिस्सों पर लाभांश देय नहीं होगा।

(ख) शेष बचे लाभ का वितरण निम्न प्रकार किया जावेगा।

1. कम से 20 प्रतिशत मूल्य घटत बढत कोष में।
2. कम से कम 15 प्रतिशत भवन कोष में।
3. जनहितकारी कोष में अधिक से अधिक 10 प्रतिशत।
4. कर्मचारियों को बोनस देने हेतु प्रावधान यह राशि रजिस्ट्रार की पूर्वानुमति के दी जावेगी।

(ग) शेष लाभ यदि बचे तो सुरक्षित कोष में स्थानान्तरित कर दिया जावेगा। देय लाभांश किसी सदस्य द्वारा घोषित होने की तारीख से 3 तीन वर्ष के अन्दर नहीं लिया जावे तो वह उसे पाने का अधिकारी नहीं होगा।

15. सुरक्षित कोष

(अ) सुरक्षित कोष अविभाज्य होगा। किसी सदस्य का इसमें कोई भाग नहीं होगा किन्तु इस सोसायटी के दो या अधिक सोसायटीओं में विभाजित होने की दशा में सुरक्षित कोष, रजिस्ट्रार सहकारी विभाग की स्वीकृति से इस सोसायटी एवं नवीन सोसायटी का सोसायटीओं में, प्रत्येक की स्थिति के अनुसार विभाजित किया जावेगा।

(ब) सुरक्षित कोष जिला वित्तीय सहकारी बैंक में धरोहर के रूप में या रजिस्ट्रार, सहकारी विभाग, राजस्थान के आदेश एवं राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम 2001 की धारा 49 के अनुसार विनियोजित किया जावेगा तथा रजिस्ट्रार विभाग की पूर्व लिखित अनुमति के बिना वापिस नहीं निकाला जायेगा।

16. हानि के बट्टे खाते डालना

हानि की पूर्ति सुरक्षित कोष से की जावेगी एवं सुरक्षित कोष से हानि अधिक होने की परिस्थितियों में बकाया राशि सोसायटी की हिस्सा राशि से पूर्ति की जावेगी किन्तु किसी भी हानि की पूर्ति साधारण सभा की स्वीकृति के बिना नहीं की जावेगी।

17. आयोजित (अनक्लेमड) राशि को सुरक्षित कोष में डालना

संचालक मण्डल द्वारा निश्चित पर्याप्त सूचना के पश्चात् कोई राशि सोसायटी में ज्ञातव्य है और भारतीय परीसीमन अधिनियम के अन्तर्गत निर्धारित अवधि में जिसकी मांग न की गयी हो, सोसायटी के सुरक्षित कोष में जमा कर दी जावेगी।

18. वार्षिक विवरण पत्र

सोसायटी के हिसाब प्रथम अप्रेल से आगामी 31 मार्च तक प्रत्येक वर्ष की अवधि के लिये तैयार किये जावेंगे।

(अ) संचालक मण्डल, रजिस्ट्रार महोदय द्वारा निर्धारित फार्म पर प्रति वर्ष निम्नलिखित हिसाब तैयार करायेगा –

1. अग्रिम लेखें जिसमें वर्ष भर का आय व्यय दिखाया जावगा।
2. संतुलन चित्र जिसमें विगत 31 मार्च की सोसायटी की सम्पत्ति और देनदारियां बताई जावेगी।
3. हानि व लाभ विवरण पत्र, जिसमें सोसायटी का वर्ष का लाभ या हानि बताया जावेगा।

(ब) ये विवरण पत्र 31 मार्च के तैयार किये जावेगे और प्रत्येक वर्ष की एक प्रति सहकारी वर्ष की समाप्ति के पश्चात् निर्धारित अवधि में रजिस्ट्रार एवं राजस्थान राज्य सहकारी क्रय विक्रय संघ लि. जयपुर को प्रेषित की जावेगी। रजिस्ट्रार द्वारा प्रमाणित करने एवं आडिट प्रमाण पत्र का अन्य ऐसे विवरण पत्र जो निर्देशित करे उनके द्वारा निर्देशित ढंग से प्रकाशित करेंगी।

19. सदस्यों के हिस्से आदि सोसायटी का अधिकार

सदस्य व भूतपूर्व सदस्य के जमा हिस्सों, अमानत और अन्य प्रकार की कोई रकम पर सोसायटी का प्रथम चार्ज (अधिकार) होगा और सोसायटी ऐसे सदस्य अथवा भूतपूर्व सदस्य के बकाया ऋण में जमा कर वसूली कर सकती है।

20. उपविधियों का स्पष्टीकरण

इस उपविधियों की रचना अथवा उसकी व्याख्या सम्बन्धी किसी अस्पष्टता की स्थिति में प्रकरण रजिस्ट्रार सहकारी समितियां, राजस्थान को संदर्भित किया जा सकेगा तथा उसके सम्बन्ध में रजिस्ट्रार सहकारी समितियां राजस्थान का निर्वचन निर्णायाक समझा जावेगा।

21. सोसायटी के गठन, प्रबन्ध या कारोबार से संबंधित विवाद

राज. राज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2001 की धारा 58 में उल्लेखित सोसायटी के गठन, प्रबन्ध या कारोबार से संबंध रखने वाला कोई विवाद रजिस्ट्रार के समक्ष प्रस्तुत किया जावेगा। राज.राज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम 2001 राजस्थान सहकारी सोसाइटी नियम 2003 एवं उपविधियों की एक प्रति, सदस्यों का रजिस्टर एवं निर्धारित अभिलेख सदस्यों द्वारा निःशुल्क निरीक्षण करने के लिये सोसायटी अपने रजिस्टर्ड पते पर रखेगी।

22. संचालक मण्डल व कर्मचारी वर्ग के सदस्यों द्वारा गोपनीयता की घोषणा

सोसायटी का प्रत्येक संचालक निर्धारित प्रारूप में एक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करेगा कि जिसके द्वारा सोसायटी की समस्त कार्यवाही और उसके संबंधित समस्त विषयों को पूर्णतया गुप्त रखने का वचन देगा। अपने कर्तव्य पालन के समक्ष उनकी जानकारी में आये हुये किसी विषय को प्रकट नहीं करेगा सिवाय उस दशा में जबकि वह उपविधियों या संचालक मण्डल के द्वारा अधिकृत न किया जावे। कर्मचारी वर्ग का प्रत्येक सदस्य भी इसी प्रकार के घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करेगा तथा गोपनीयता का वचन देगा।

23. विघटन

सोसायटी का विघटन राजस्थान सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2001 एवं तद्न्तर्गत निर्मित नियमों के अनुसार होगा।

24. समिति में मुख्य व्यवस्थापक / व्यवस्थापक /सहायक व्यवस्थापक/लेखाधिकारी/क्रय विक्रय अधिकारी / लेखापाल राज. जयपुर के अनुमोदन के पश्चात् ही नियुक्ति समिति द्वारा की जावेगी। इन नियुक्ति के संबंध में जो शर्ते अथवा प्रतिबंध रजिस्ट्रार, सहकारी समितियॉ लागू किये जावेंगे, समिति को मान्य होंगे। उपरोक्त अंकित पदों पर रिक्त स्थान की पूर्ति के लिये विभागीय कर्मचारियों की रजिस्ट्रार प्रतिनियुक्ति पर भी लगा सकेगा। ऐसी नियुक्तियों के लिये संबंधित समिति रजिस्ट्रार को आवेदन करेगी।

उपनियमों में उपनियम संख्या 11(ख) में जहॉ कर्तव्यों का उल्लेख है उसमें मुख्य व्यवस्थापक/व्यवस्थापक पढा जावेगा तथा जहॉ–जहॉ भी उपनियमों में व्यवस्थापक शब्द का प्रयोग है वहॉ पर सोसायटी में नियोजित पद के अनुसार ही मुख्य व्यवस्थापक / व्यवस्थापक से तात्पर्य होगा।